न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 01 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

1. सुनिल पुत्र श्री रामनारायण जाति निवासी व्यासों का चौक, पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
2. देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी गुड्डी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
3. लोकेन्द्रपालसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह निवासी पोकरण ठिकाना सैनिक विश्राम गृह के सामने, भवानीपुरा पोकरण जिला जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.प्रहलादराम पुत्र श्री गणेशाराम
2.ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रहलादराम
3.हीराराम पुत्र श्री प्रहलादराम
4.मनोहरराम पुत्र श्री प्रहलादराम
जाति भील निवासी पोकरण हाल गांव लंवा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (राज.)।

उपस्थित

1. वकील श्री राणीदान सेवक अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण के विविध वाद संख्या 33 / 2011 बअनवान सुनिल वगैरा बनाम प्रहलादराम में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2015 के विरूद्व पेश हुई।

निर्णय

दिनांकः— 16.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 371 / 979 रकबा 62 बीघा एवं खसरा संख्या 371 / 2016 रकबा 13 बीघा गांव लंवा में आये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले की प्रकृति को देखते हुए, यह आदेश दिनांक 17.06.2011 को सादिर किया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की स्थिति में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन आदि नहीं करे। इस संबंध में रेस्पोडेंट अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस दिनांक 04.07.2011 को तामील भी हो गये। नोटिस तामील होने के बाद रेस्पोडेंटस अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद दिनांक 04.07.2011 को व दिनांक 05.07.2011 की रात्रि के मध्य वादग्रस्त भूमि पर ट्रेक्टर से सुखी भूमि में खड़ाई कर दी व रातो–रात एक झोपे(पड़वे) आदि का भी निर्माण करवा दिया और

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। अपीलांट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.06.2011 की अवहेलना करने पर रेस्पोडेंट अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 2(ए) सपठित धारा 151 सी पी सी के अन्तर्गत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में तहसीलदार पोकरण को वादग्रस्त जायदाद का मौका देखने हेतु आदेश जारी किया, जिन्होने मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की और अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.12.2015 पर गौर नही कर बिना पक्षकारों की साक्ष्य के अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये, जो कानूनन सही नही होने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं मौके पर जाकर दिनांक 30.03.2015 को वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण संबंधित पटवारी आदि के रुबरू देखकर उसकी मौका रिपोर्ट भी बनाई, जिससे भी यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.06.2011 की स्पष्ट अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अवहेलना के संबंध में दोनों पक्षों को कानूनन अपनी लिखित व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात पत्रावली पर आये सबूतों के आधार पर आदेश पारित करना चाहिए था लेकिन अपीलांट द्वारा इस संबंध में दिनांक 03.12.2015 को लिखित में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी आलोच्य आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट संलग्न पत्रावली की गई। मौके पर पाया गया निरीक्षण कुछ नया एवं कुछ पुराना होना उल्लिखित है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मौके पर कोई अवज्ञा हुई है तो इसका निर्धारण कर इस पर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का लेना है इसलिए इसका विधि की दृष्टि से परीक्षण करने के लिए प्रकरण रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण के विविध वाद संख्या 33/2011 बअनवान सुनिल वगैरा बनाम प्रहलादराम में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2015 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त ऑब्जरवेशन के आधार पर समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे।

16/5/19

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner